न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 230/2019 (759/17, 39/19)
दायर दिनांक :– 19.07.2017

अनवान

1. श्री रामदेव पिता हीरा मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
2. श्री सांवलराम पिता हीरा मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
3. श्री हरलाल पिता हीरा मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
4. श्री सोजीराम पिता हीरा मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
5. श्री खेमराज पिता हीरा मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
6. श्री कालू पिता हीरा मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
7. श्रीमति चकोली देवी पत्नि सांवलराम मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. श्री रामचन्द्र पिता कजोड मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
2. श्री बरदा पिता कजोड मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
3. श्री भूरा पिता हजारी मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
4. श्री भागुता पिता हजारी मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
5. श्रीमति बदाम पत्नि मोहन मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
6. श्री महेन्द्र पिता मोहन मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
7. श्री बन्टी पिता मोहन मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
8. श्री बहादुर पिता हरिकिशन मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
9. श्री धर्मराज पिता हरिकिशन मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
10. श्री भीमराज पिता हरिकिशन मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
11. श्री उंकार पिता हजारी मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
12. श्रीमति भागुती पत्नि छीतर मीणा नि. बखेरा तह. जहाजपुर
13. श्री महेश पिता छीतर मीणा नि. बखेरा ना ब बि माता भागुती पत्नि छीतर मीणा
14. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अमित बिडला, एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री महावीर प्रसाद शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण
3. श्री अतुल जोशी, एडवोकेट अप्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक 09.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की कब्जे काश्त में ग्राम बखेरा प. ह. बरोदा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आराजी न. 354 रकबा 03.03 बीघा इसी प्रकार प्रार्थिया सं. 8 के नाम पर ख. नं.. 359, 360 एवं इससे लगती हुई आराजियात स्थित है। जिसके की प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की इस आराजी मे प्रार्थी को आने जाने एवं फसल का उवेरने के लिये ग्राम बखेरा प. ह. बखेरा में स्थित आराजी ख.सं. 356 की उत्तरी मेर से होकर रास्ते की आवश्यकता हैं प्राथी एंव इनके पुर्वज अपने खेतो में चाहे जा रहे रास्ते में से ही आते जाते है रहे हैं परन्तु रास्ते राजस्व अभिलेखो में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थिगण उक्त चाहे गये रास्ते को बन्द करने पर आमादा है इसके लिये अप्रर्थी सं. 1 आये दिन प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान का रास्ते में निकलने पर गाली गलोच करते है। तथा फौजदारी करने पर आमादा होते है। अप्रार्थीगण रास्ते को बन्द करने की आड से थुहर की बाड लगाना चाह रहे है। अप्रार्थीगण के द्वारा रास्ता का बन्द कर दिया तो खुलासा नही किया जाता है तो प्रार्थिगण अपनी आराजियात में आ जा नही पावेगे प्रार्थीगण अपने खेतो में रास्ते के अभाव में कृषि कार्य नही कर पावेगे प्रार्थीगण का आय एवं अपने एवं अपने परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन खेती होने से खेती नही कर पाने की स्थिति मे प्रार्थीगण एवं इसके परिवार के सदस्य के भुख मरने की नौबत आ जावेगी। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने में परेशानी उठानी पडती है। इस कारण प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग व उपभोग कई वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से कर रहे हैं। मौके पर रास्ता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी में आने जाने कृषि उपकरण ले जाने के लिये उक्त रास्ते में से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि में आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आ.न. 356 में से रास्ता देने व उक्त रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण की और से श्री अतुल जोशी एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की प्रार्थीगण ने जवाबदारान को महज जलील व परेशान करने के लिये यह झुठा बोगस तथ्यो पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कानूनन मेन्टेन नही होने से चलने योग्य ही है। मृतक मोहन पिता हजारी हरिकिशन पिता हजारी, छीतर पिता हजारी के सभी विधिक वारिसान को पक्षकारान नही बनाया है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र पोषनीय नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया तथाकथित रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का नही है। क्यो कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। प्रार्थीगण केवल तथाकथित रास्ते को सुविधाजनक उपयोग के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया। जब कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता है। जिसका सदेव से प्रार्थीगण उपयोग व उपभोग कर रहे है और वही उनका मुख्य रास्ता हेतु उक्त मोजुदा रास्ते मौके पर स्थित है। जिसको मिटाने पर तुले हुये है। व कुछ जगह के मौके पर रास्ता के अलामात प्रार्थीगणों ने मिटा भी दिये है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किया जावे।

प्रार्थीगण की आराजी न. 354, 359, 360 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने

उपखण्ड अधिकारी

जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2019/720 दिनांक 20.06.2018 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। एंव वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। आ.न. 360, 359 में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। उसी रास्ते का उपयोग किया जावे। रास्ता बन्द हो तो तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलासा किया जावे। आराजी नं. 317 में से 15 फिट का रास्ता दिया जा सकता है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा आराजी नं. 317 के खातेदार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। इसलिये आराजी नं. 317 के खातेदार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:37:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: